संख्या-18/2015/1441/26-2-2015-100(69)/2002

प्रेषक,

चारूलता,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-253/स0क0/रा0पा0ला0यो0/2015-16, दिनांक 10.06.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0-17/2015/67 भा0स0/ 26-2-2015-100(69)/2002, दिनांक 24.07.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 370.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासन के पत्र सं0-1805/ 26-2-2015-100(69)/2002 टी0सी0, दिनांक 31.07.2015 द्वारा उपलब्ध हुई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि में से रू0 94.7303228 करोड़ में आवश्यक मैचिंग राज्यांश रू0 47.3651614 करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 142.0954842 करोड़ (रू0 एक अरब बयालिस करोड़ नौ लाख चौवन हजार ऑठ सौ बयालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृत निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उक्त स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अत: प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बी0एम0-30 पर नियमित रूप से व्यय विवरण प्रशासकीय विभाग के साथ-साथ वित्त विभाग (सम्बन्धित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3) को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय।

2- उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-0502-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

चारूलता
उप सचिव।

<u>संख्या-18/2015/1441(1)/26-2-2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।